

order Sheet [Contd]

प्र०क० ९९/१७बैल

te of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessa
11-आवेदक/आ	<p>आरोपी नीरज की ओर से श्री जी०एस०निगम अधिवक्ता ।</p> <p>शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक ।</p> <p>पुलिस थाना गोहद के अप०क० ४२/१७ धारा ३६३ भा०द०सं० की केश डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त हुयी ।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से पेश आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा ४३९ जा०फो० में बताया गया है कि यह उनका प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदनपत्र न ही निरस्त हुआ है तथा न ही किसी अन्य न्यायालय में लम्बित होना बताया गया है ।</p> <p>आवेदक/आरोपी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक २० वर्षीय होकर मजदूर पेशा व्यक्ति है । उसके विरुद्ध पुलिस थाना गोहद ने गलत अपराध दर्ज कर लिया है जिससे आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है । अभियोगी राकेश जाटव के द्वारा अपनी पुत्री जूली को किसी रिश्तेदार के यहां भेज दिया गया था और रंजिशन आवेदक के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है । उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद ने आवेदक को दिनांक १-३-२०१७ को गिरफ्तार कर उप जैल गोहद भेज दिया है । आवेदक के साथ उसके बृद्ध माता पिता हैं और उनका भरण पोषण भी आवेदक स्वयं मजदूरी करके करता है । यदि अधिक दिनों तब वह जैल में रहा तो उनके भूखों मरने की नोबत आ जायेगी । वह न्यायालय की सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है । ऐसी दशा में उसे नियमित जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया है ।</p> <p>केश डायरी का अवलोकन किया गया । पीडिता का १८ वर्ष से कम उम्र की होकर नाबालिग बताया जा रहा है । उसको आरोपी के द्वारा बहलाफुसलाकर ले जाने के संबंध में उसके पिता के द्वारा गुमशुदगी की सूचना दी गयी एवं इस संबंध में रिपोर्ट रिपोर्ट की गयी थी जिस पर थाना गोहद में ३६३ भा०द०सं० के अन्तर्गत अप०क० ४२/१७ दर्ज किया गया है । प्रकरण विवेचना में लिया गया पीडिता</p>	

की दस्तयावी की गयी एवं उसके कथन लिये गये एवं मेडिकल परीक्षण कराया गया । मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन लेख कराया गया । जिस पर धारा 376 भा0द0सं0 एवं 3/4 बालकों के लेगिंक अपराध से संरक्षण अधि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण की विवेचना की गयी ।

आवेदक अधिवक्ता ने मुख्य रूप से व्यक्त किया कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया उसे झूठा लिप्त किया गया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । उक्त प्रकरण में अभियोजन के द्वारा संकलित की गयी साक्ष्य जो कि पीडिता घटना के समय नावालिग होना बतायी जा रही है और उसके साथ आरोपी के द्वारा बलात्कार करने के संबंध में आक्षेप लगाया गया है

विचारोपरान्त आवेदक/आरोपी पर लगाये गये आक्षेप एवं प्रकरण के तथ्यों प्रकृति, परिस्थितियों को देखते हुये आवेदक को नियमित जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता । अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 439 जा0फो0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी वापिस की जाये ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

ए0एस0जे0गोहद